म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क/बी–6/नि0/वि.अनु./आग्रेनिक इंडिया/616/357 भोपाल,दिनांक 06/06/2020

प्रति,

मेसर्स आग्रेनिक इंडिया प्रा0लि0
प्लाट नं–सी–5/10, कुरसी रोड,
जिला बाराबंकी, उत्तरप्रदेश,

शाखा– मेसर्स आग्रेनिक इंडिया प्रा0लि0,
खसरा नम्बर 208, शीतला माता मंदिर
के पीछे राम नगर, रोड,
मनासा जिला नीमच

विषयः–मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे।

संदर्भः–मेसर्स आर्गेनिक इण्डिया प्रा0लि0 का आवेदन दिनांक 03.02.2020

सन्दर्भित आवेदन द्वारा म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम–2009 के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति चाही गई है। जिसमे कम्पनी के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति मनासा जिला नीमच मे उत्पादको से कृषि उपज क्रय करने हेतु 01 क्रय केन्द्र की स्थापना की अनुमति चाही गई है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के अधीन संशोधित 6 समूह नियत किये गये है और तदानुसार नियम 6 के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के नियत समूहवार प्रतिभूति की राशि नियत की गई है।

मेसर्स आर्गेनिक इण्डिया प्रा0लि0, प्लाट नं–सी–5/10, कुरसी रोड, जिला बाराबंकी, उत्तरप्रदेश के द्वारा इन विनिर्दिष्ट समूहो मे से (छह) **"वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज"** समूह अंतर्गत खरीदी हेतु आवेदन मे उल्लेख किया गया है।

मेसर्स आर्गेनिक इण्डिया प्रा0लि0 के द्वारा आवेदन मे उल्लेखित 01 विनिर्दिष्ट मंडी समिति मनासा जिला नीमच मे 01 क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु संशोधित नियम 6 के अधीन राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) की एक्सीज बैंक, लखनऊ (उ.प्र.) जो कि प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के नाम से प्रस्तुत की गई है, जिसकी अवसान तिथि 27 दिसम्बर 2020 तक है।

विशेष अनुज्ञप्तिधारक के संदर्भित आवेदन दिनांक 03.02.2020 के अनुसार स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति ने उनके द्वारा 01 क्रय केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति चाही गई है। अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32–क के अधीन संशोधित मध्यप्रदेश कृषि उपज

Scanned with CamScanner

मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के संशोधित नियम 4 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मेसर्स आर्गेनिक इण्डिया प्रा0लि0 को विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रो मे उत्पादको से सीधे कृषि उपज कय करने के लिए निम्नानुसार कय–केन्द्र स्थापना की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1/ आपके द्वारा खरीदी केन्द्र पर खरीदी किये जाने हेतु नियम 8(6) के तहत न्यूनतम 03 किलोमीटर की दूरी पर या उससे अधिक की अनुमति प्रदान की जाती है। खरीदी केन्द्र की जानकारी, खरीदी प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित मण्डी सचिव, आंचलिक कार्यालय एवं मण्डी बोर्ड, मुख्यालय को दी जायेगी। (मंडी सचिव, कय केन्द्र की नियत दूरी सीमा में स्थापना का सत्यापन करेगे)

2/ नियत सीमा के बाहर खरीदी केन्द्र स्थापित करने एवं उसकी सूचना मण्डी बोर्ड को उपलब्ध होने के पश्चात ही खरीदी प्रारम्भ की जा सकेगी अन्यथा किसी भी तरह की खरीदी अवैध व्यापार मान्य किया जावेगा और आपके विरूद्ध मण्डी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

3/ अनुज्ञप्तिधारक के लिये प्रथमतः यह अनिवार्य होगा कि वह विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगण एवं कय–केन्द्र मे सुविधा स्थापित करे।

5/ अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32–क के अधीन म.प्र.कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार मेसर्स आर्गेनिक इण्डिया प्रा0लि0 को एक वर्ष के लिये अनन्तिम रूप से विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल ''वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज'' के लिए स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति का प्ररूप–3 परिशिष्ट–''अ'' पर संलग्न है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned with CamScanner

क/बी–6/नि0/वि.अनु./आग्रेनिक इंडिया/616/358 भोपाल,दिनांक06/06/2020

प्रतिलिपि :–

(1) संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/ नर्मदापुरम/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/मुरैना संभाग/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10 एवं नियम 12 के अधीन उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति "अधिसूचित कृषि उपज **केवल "वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज"** के लिए अनन्तिम कर स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति................................ जिला.............................. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10 एवं 12 के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज **केवल "वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज"** के लिए स्वीकृत की गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। प्रथमतः अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य है कि वह विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगण एवं कय केन्द्र मे सुविधा स्थापित करे।

3. चीफ प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कृषि उपज मण्डी समिति [illegible] जिला [illegible] के अनुज्ञप्तिधारी **मेसर्स आर्गेनिक इण्डिया प्रा0लि0** प्लाट नं–सी–5/10, कुरसी रोड, जिला बाराबंकी, उत्तरप्रदेश उपज मण्डी समिति मनासा जिला नीमच मध्यप्रदेश को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति को ई–अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned with CamScanner

||क्रि।व्रि। ... ||

परिशिष्ट – "अ"

प्ररूप–तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुज्ञप्ति कमांक/एस.एल./2020/07 दिनांक 06/06/2020

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स आग्रेनिक इंडिया प्रा0लि0 (उत्तरप्रदेश) कृषि उपज मण्डी समिति मनासा जिला नीमच मध्यप्रदेश को अधिनियम की धारा 32–क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु दिनाँक ...... **मई वर्ष 2020** को विशेष अनुज्ञप्ति एक वर्ष के लिए अनंतिम रूप से दी जाती है।

अनु.क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज	मनासा	कृषि उपज मंडी समिति मनासा जिला नीमच	मनासा	मेसर्स आग्रेनिक इंडिया प्रा0लि0, खसरा नम्बर 208, शीतला माता मंदिर के पीछे राम नगर, रोड, मनासा जिला नीमच	श्री बलराम सिंह पिता श्री साधु सिह, डी–21606 सेक्टर, एफ, जानकीपूरम लखनऊ (उ.प्र.) मो0नं0–9956296600	

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त कय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा कय

अनु0क0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मे0टन में {नियम 4 (2) देखिए}
(1)	(2)	(3)
1	वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज	100 मे0टन

3. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक विनिर्दिष्ट कय केन्द्रों पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगाः–

(एक) इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज

(दो) पेय जल की समुचित व्यवस्था

(तीन) प्रकाश की समुचित व्यवस्था

(चार) पुरुष तथा महिलाओं के लिये शौचालय की प्रसुविधा

(पॉच) शेड की व्यवस्था

(छ) किसानों के लिये छायादार विश्राम स्थल

(सात) भुगतान काउन्टर

(आठ) ट्रेक्टर ट्राली आदि की पार्किंग की व्यवस्था

(नौ) नमी, कचरा तथा क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति,

Scanned with CamScanner

(दस) प्रवेश, विकय–कय, भुगतान तथा तौल काउन्टरो/क्षेत्रों पर सी.सी.टी.व्ही कैमरे सीपित करना.

(ग्यारह) कय–विकय लेखा की मैनुअल के साथ ही डिजिटल बैकअप प्रणाली संधारित रखना.

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले मे –

(एक) इलेक्ट्रानिक ट्रेडिग प्लेटफार्म,

(दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा

(तीन) सुर ईगी केन्द्र

विनिर्दिष्ट क्‍ केन्द्रो मे से किसी कय केन्द्रो मे प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओ को सृजित करने मे असफल रहने पर, एक वर्ष के लिये दी गई अनन्तिम विशेष अनुज्ञप्ति को ऐसे कय केन्द्र के लिये

4. यह विशे । अनुज्ञप्ति दिनांक ...... मई वर्ष 2020 से .... मई वर्ष 2021 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद

5. यह अनुज्ञ ्ते निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी :–

(एक) वि ार्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपवंचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना–पत्र के अनुसार समय–सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिकमी पाये जाने पर,

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय–सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियॉ प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में कय न किये जाने पर

6 मेसर्स आग्रेनिक इंडिया, प्रा0लि0 (उत्तरप्रदेश), मध्यप्रदेश राज्य के बाहर (उत्तरप्रदेश मे) पंजीकृत कम्पनी है, इसलिए आवश्यक है कि किसानो से कय कृषि उपज के परिवहन के पूर्व किसानों का 100 प्रतिशत

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता :

कार्यालय की मोहर :

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल (म.प्र.)